



संख्या ११६/अ०न०आ०/न०नि०/2022-23

दिनांक:-०९/०२/2023,

अधिसूचना

नगर निगम द्वारा कराये जा रहे डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य-

- नगर निगम झॉंसी द्वारा डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य हेतु 01-एप्रैल मीसर्स ए.जी.एन्वायरोमेन्ट झॉंसी चयनित की गयी है, जिनके द्वारा शहर से डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
- शहरवासियों एवं समस्त से अपील है कि घरों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को सेग्रीगेशन करते हुए उक्त एजेन्सी को देना सुनिश्चित करें, साथ ही कूड़ा कलेक्शन का नगर निगम झॉंसी द्वारा नियत निम्न विवरण अनुसार प्रतिमाह यूजर चार्ज देना सुनिश्चित करें-

S.N.	Category	Rate Per Month
1.	Household units	Rs.40
2.	Non Food Commercial Shops	Rs.100
3.	Food Commercial Shops	Rs.500
4.	Bulk Waste Generators	Rs.2400

- किसी भी गृहस्वामी/प्रतिष्ठान द्वारा कूड़े को एप्रैल को न देकर खाली प्लाटों, सड़क एवं नालियों में फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं उ.प्र. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2017) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

बल्क वेस्ट जनरेटर (ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक) इकाईयों/प्रतिष्ठानों द्वारा कम्पोस्टिंग कराये जाने हेतु-

- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अन्तर्गत एक दिन में 50 किलोग्राम व अधिक ठोस अपशिष्ट कचरा उत्सर्जित/उत्पन्न करने वाली संस्थाएँ व इकाईयों जैसे-होटल/रेस्टोरेन्ट/विवाहघर/हॉस्पिटल/कॉलेज/विरवविद्यालय/कैन्टीन/रेजीडेंस वेल्फेयर एसोसिएशन/सब्जी मण्डी इत्यादि को ठोस अपशिष्ट निस्तारण/प्रोसेस अपने परिसर में किया जाना आवश्यक है।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के प्राविधानों व नगर निगम द्वारा अधिसूचित उपनियमों (Bylaws) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले प्राविधानों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 व नगर निगम द्वारा प्रख्यापित उपनियमों को नगर निगम कार्यालय से या नगर निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
- समस्त प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि अपने प्रतिष्ठान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 के अन्तर्गत आवश्यक क्षमता की कम्पोस्टिंग/आर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन लगाया जाना सुनिश्चित करें। नगर निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि उक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स-2016 एवं उ.प्र. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2017) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार (जुर्माना)/कार्यवाही की जायेगी।

खुल में शौच/यूरिनल न करें

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र को अधिकारिक रूप से ओ.डी.एफ. प्लस प्लस घोषित किया जा चुका है।
- नगर क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि व शौच/यूरिनल के लिए घरों में स्थित शौचालय/यूरिनल अथवा नगर निगम द्वारा निर्मित शौचालय/यूरिनल का उपयोग करेंगे। खुले में कदापि शौच/यूरिनल न किया जाए।
- नगर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच/यूरिनल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उ.प्र. ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2017) में वर्णित प्राविधानों के अनुसार जुर्माना की कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त कृत्य दोबारा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो दोगुने जुर्माने की राशि वसूली जायेगी।

फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंधन

- नगर निगम झॉंसी में फीकल स्लज सैप्टेज उपविधि प्रख्यापित है जिसके अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में सैप्टिक टैंक खाली कराया जाना अनिवार्य है। नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेन्सी मीसर्स पूर्णा प्रो. एन्वायरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मीसर्स जे.एम. एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। जिसका हेल्पलाईन नं. 14420 एवं 05103500700 पर सम्पर्क कर रु. 1500/- प्रति ट्रिप (1500 लीटर) एवं रु. 3,000/- प्रति ट्रिप (3000 लीटर) निर्धारित है।

आर.एस.ए./ई.आर.एस.यू. के गठन की घोषणा

- शासन के पत्र संख्या-6607/नौ-5-2020-162सा/2019 दिनांक 15 जनवरी 2021 के बिन्दु संख्या-02 में प्रदेश के नगर निगम हेतु अग्रोहस्ताक्षरी को रेस्पोंसिबल सैनेटेशन अथॉरिटी (आर.एस.ए.) नामित किया गया है। श्री पुलकित गर्ग, आई.ए.एस. नगर आयुक्त नगर निगम, झॉंसी मो.नं. -8808053881 रेस्पोंसिबल सैनेटेशन अथॉरिटी (आर.एस.ए.) के रूप में कार्यरत है।
- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय-ए निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं०-14/12/2017-एसबीएम-1 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) का गठन निम्नानुसार किया गया है-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं०
01.	श्री रविचन्द्र निरंजन	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9415188902
02.	श्री राजेन्द्र कुमार	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9411435341
03.	श्री प्रदीप कुमार अग्निहोत्री	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	6393781675
04.	श्री प्रसन्न गुप्ता	सैप्टिक टैंक सुपरवाइजर	9305244845
05.	श्री तरसेम चौधरी	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	8225800564
06.	श्री रामू	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	9935550825
07.	श्री शमम	सैप्टिक टैंक/सफाई कर्मी	9140278315

- उपरोक्तानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) नगर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सीवर/सैप्टेज सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर रही है।

(डॉ. धीरेन्द्र गुप्ता)
नगर स्वच्छता अधिकारी,(मो. कुमार)
अपर नगर आयुक्त(पुलकित गर्ग)
नगर आयुक्त

प्रतिलिपि :-सम्पादक दैनिक झॉंसी, 09/02/2023 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन आगामी अंक के मुख पृष्ठ को छोड़कर न्यूनतम स्पेस में 10 के फॉन्ट में प्रकाशित कर बिल तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त,
नगर निगम, झॉंसी

है, जिसके लिये
प्रयत्न किया है। इन पर
आएंगे:

न-ग्रेडवू
दिन और समय
13 (सोमवार) सुबह 10:00
दोपहर 01:00 बजे तक
14 (सोमवार) दोपहर 02:00 बजे
से शाम 05:00 बजे तक

में शामिल होने के लिए
पाइसेस धुरी और प्रोडिया
पिडियोकेन टॉवर प्रोडिया
आ सकते हैं। आवेदन पत्र के लिए
है। हमारी वेबसाइट पर:
सीओ, पीएमओ

कृषि उत्पादन
र रोड, झाँसी
दिनांक 09, फरवरी, 2023

तौर पर से सुदृढ़ एवं अनुभवो
को ज्ञात है। ऑनलाइन निविदा
। श्रम 5.00 तक डाउनलोड कर
विड उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त
त तिथि को सार्वजनिक अवकाश
य विड खोली जायेगी। कार्य का

नैविड का मूल्य 18% GST सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि	पंजीकरण की श्रेणी
5	6	7
600.00	एक माह	'द'
300.00	एक माह	'द'
600.00	एक माह	'द'
200.00	एक माह	'द'
700.00	एक माह	'द'
3550.00	एक माह	'द'
3550.00	एक माह	'द'
3200.00	एक माह	'द'
2100.00	एक माह	'द'
3400.00	एक माह	'द'
3900.00	एक माह	'द'
1770.00	एक माह	'द'

SBIN006598) के खाता सं-
श की धनगशि ऑनलाइन भारतीय
के साथ अपलोड करना अनिवार्य
नो होगा। (4) मुख्य नियम व शर्तें
उप निर्देशक (निर्माण)
मण्डी परिवहन, झाँसी

अधिसूची अभियंता,
लघु सिंचाई, ललितपुर

हॉटेल नगरी
झाँसी नगर निगम, झाँसी
कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI
E-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com Office Contact No: 0510-2332097
दिनांक- 09.02.2023

अधिसूचना
नगर निगम द्वारा कराये जा रहे डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य

- नगर निगम झाँसी द्वारा डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन कार्य हेतु 01 एजेंसी मैसर्स ए.जी. एन्वायरोमेंट झाँसी चयनित की गयी है, जिनके द्वारा शहर से डोर-दू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है।
- शहर वासियों एवं समस्त से अपील है कि घरों एवं प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कूड़े को सेग्रीगेशन करते हुए उक्त एजेंसी को देना सुनिश्चित करें, साथ ही कूड़ा कलेक्शन का नगर निगम झाँसी द्वारा नियत निम्न धियरण अनुसार प्रतिमाह यूजर-चाार्ज देना सुनिश्चित करें-

S.N.	Category	Rate Per Month
1.	Household units	Rs. 40
2.	Non Food Commercial Shops	Rs. 100
3.	Food Commercial Shops	Rs. 500
4.	Bulk Waste Generators	Rs. 2400

- किसी भी गृहस्वामी/ प्रतिष्ठान द्वारा कूड़े को एजेंसी को न देकर खाली प्लाटों, सड़क एवं नालियों में फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्ति/प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 एवं उ.प्र. टोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली - 2017) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- वल्क वेस्ट जनरेटर (टोस अपशिष्ट उत्सर्जक) इकाईयों/ प्रतिष्ठानों द्वारा कम्पोस्टिंग कराये जाने हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के अन्तर्गत एक दिन में 50 किलोग्राम व अधिक टोस अपशिष्ट कचरा उत्सर्जित उत्पन्न करने वाली संस्थाओं व इकाईयों जैसे होटल/ रेस्टोरेंट/ विवाहघर/ हॉस्पिटल/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ कैम्पस/ रेजीडेंस वेल्फेयर ऐसोसिएशन/ सब्जी मण्डी इत्यादि को टोस अपशिष्ट निस्तारण/ प्रोसेस अपने परिसर में किया जाना आवश्यक है।
- सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के प्रावधानों व नगर निगम द्वारा अधिसूचित उपनियमों (Bylaws) का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इस सम्बन्ध में अपनाये जाने वाले प्रावधानों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स - 2016 व नगर निगम द्वारा प्रख्यापित उपनियमों को नगर निगम कार्यालय से या नगर निगम की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
- समस्त प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों से अपेक्षा की जाती है कि अपने प्रतिष्ठान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स - 2016 के अन्तर्गत आवश्यक क्षमता को कम्पोस्टिंग / आर्गेनिक कम्पोस्टिंग मशीन लगाया जाना सुनिश्चित करें। नगर निगम द्वारा निरीक्षण के दौरान यदि उक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 का अनुपालन नहीं किया जाता है तो नगर निगम द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 एवं उ.प्र. टोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली-2017) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार (जुर्माना) / कार्यवाही की जायेगी।

खुले में शौच/ यूरिनल न करें

- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्र को अधिकारिक रूप से ओ.डो.एफ. प्लस प्लस घोषित किया जा चुका है।
- नगर क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से अपील है कि व शौच / यूरिनल के लिए घरों में स्थित शौचालय / यूरिनल अथवा नगर निगम द्वारा निर्मित शौचालय/यूरिनल का उपयोग करेंगे। खुले में कदापि शौच/यूरिनल न किया जाए।
- नगर क्षेत्र के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा खुले में शौच/ यूरिनल किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत उ.प्र. टोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता नियमावली - 2017) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जुर्माना की कार्यवाही की जायेगी। यदि उक्त कृत्य दोबारा करते हुए कोई व्यक्ति पाया जाता है तो दोगुने जुर्माने की राशि वसूली जायेगी। **फीकल स्लज एवं सैटेज प्रबंधन**
- नगर निगम झाँसी में फीकल स्लज सैटेज उपविधि प्रख्यापित है जिसके अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष में सैटिक टैंक खाली कराया जाना अनिवार्य है नगर निगम द्वारा अधिकृत एजेंसी मैसर्स पूर्णा प्रो एन्वायरो इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड एवं मैसर्स जे.एम. एन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा। जिसका हेल्लोलाईन नं. 14420 एवं 05103500700 पर सम्पर्क कर रू. 1500/- प्रति टिप (1500 लीटर) एवं रू. 3,000/- प्रति टिप (3000 लीटर) निर्धारित है। **आर.एस.ए./ इ.आर.एस.यू. के गठन की घोषणा**
- शासन के पत्र संख्या-6607/नौ-5-2020-162सा/2018 दिनांक 15 जनवरी 2021 के बिन्दु संख्या-02 में प्रदेश के नगर निगम हेतु अधोहस्ताक्षरी को रेस्पोंसिबल सैनेटेशन अथॉरिटी (आर.एस.ए.) नामित किया गया है। श्री पुलकिश गर्ग, आई.ए.एस. नगर आयुक्त नगर निगम, झाँसी मो.नं. -8808053861 रेस्पोंसिबल सैनेटेशन अथॉरिटी (आर.एस.ए.) के रूप कार्यरत है।
- निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ए निर्माण भवन, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र सं.-14/12/2017- एसबीएम-1 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) का गठन निम्नानुसार किया गया है-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नं.
01.	श्री रविचन्द्र निरंजन	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9415168902
02.	श्री राजेन्द्र कुमार	जोनल सैनेटरी अधिकारी	9411435341
03.	श्री प्रदीप कुमार अग्निहोत्री	सफाई एवं खाद्य निरीक्षक	6393781675
04.	श्री प्रसन गुप्त	सैटिक टैंक सुपरवाइजर	9305244845
05.	श्री तरसेन चौधरी	सैटिक टैंक/ सफाई कर्मी	8225860564
06.	श्री रामू	सैटिक टैंक/ सफाई कर्मी	9935550825
07.	श्री शुभम	सैटिक टैंक/ सफाई कर्मी	9140278315

उपरोक्तानुसार Emergency Response Sanitation Unit (ERSU) नगर क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सैटिक सैटेज सम्बन्धी शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित कर रही है।
श्री. पुलकिश गर्ग
नगर स्वास्थ्य अधिकारी
श्री. कल्पज
अपर नगर आयुक्त
पुलकिश गर्ग
नगर आयुक्त

नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम, झाँसी

प्रमोक्त,
राज्य मिशन
स्वच्छ भारत
राज्य मिशन
सेक्टर
सेवा में